5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5 | 10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

(371)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक निग -521- II सन् 16

01. चन्द्रप्रकाश तिवारी तनय श्री भानुप्रताप तिवारी
02. श्रीमती रेखा पत्नी श्री चन्द्रप्रकाश तिवारी
निवासीगण ग्राम खजुराहो तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0 ....निगरानीकर्तागण

बनाम

कटुवा तनय श्री चिरौंजिया कुर्मी (पटैल)
निवासी ग्राम बैनीगंज तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0 ....गैरनिगरानीकर्ता

श्री ... द्वारा आज दि. 10.2.16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 10-2-16 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 विरूद्व आदेश प्रकरण कमांक 61/अपील/14–15 आदेश दिनांक 11.01.2016 न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 से परिवेदित होकर।

महोदय,

निगरानीकर्ता निम्न निगरानी प्रस्तुत करते है–

निगरानी के तथ्य

01. यह कि निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा नं0 686 रकवा 0.971हे0 स्थित मौजा खजुराहो तहसील राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 निगरानीकर्ता कमांक दो ने जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कटुवा तनय श्री चिरौंजिया कुर्मी निवासी बैनीगंज द्वारा मुख्तार निगरानीकर्ता कमांक एक चन्द्रप्रकाश से विकय पत्र कमांक 4687 दिनांक 25.10.2014 मु0 15,00,000/–रू0 में कय की थी तथा संपूर्ण प्रतिफल अदा कर मालिकाना हक व कब्जा विकेता से विकय दिनांक को ही प्राप्त कर लिया था।

8 Dchat 10/2/15

02. यह कि वादग्रस्त भूमि का नामांतरण प्रकरण कमांक 52/अ–6/14–15 में पारित आदेश दिनांक 15.04.2015 न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय राजनगर द्वारा विकेता की बजाय मुझ निगरानीकर्ता कमांक दो केता श्रीमती रेखा पत्नी श्री चन्द्रप्रकाश के नाम हो चुका है।
03. यह कि दौरान नामांतरण प्रकिया विधिवत् निगरानीकर्ता कमांक दो ने निगरानीकर्ता कमांक एक को तथा गैरनिगरानीकर्ता कटुवा तनय श्री चिरौंजिया कुर्मी निवासी बैनीगंज को अनावेदक बनाया गया है विधिवत् तलवी कराई गई है तलवी में जरिये मुख्तार चन्द्रप्रकाश

क्रमशः//2//

Tiwari

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 521–दो/2016 जिला छतरपुर

चन्द्रप्रकाश तिवारी आदि विरूद्ध कटुवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28–2–2019	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 61/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 11–1–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 25–4–2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 28/2/19	